न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 284 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

लक्ष्मी इण्डिया फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री आनन्द राव
पंजीकृत कार्यालयः–2, डीएफएल गोपीनाथ मार्ग एम.आई.रोड़ जयपुर 302001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **सांवत सिंह पुत्र बजरंग सिंह**
   प्रथम पताः–ढ़ाणी अमर सिंह की, जगराजपुरा, जुगलपुरा, खण्डेला, सीकर राज.
   द्वितीय पताः–कमर्शियल शॉप, पट्टा न. 5 का भाग, ग्राम कांवट, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर राज.
2. **हन्शा कंवर पत्नी सावंत सिंह** वार्ड न. 01, अमरपुरा की ढ़ाणी, गढ़ी कानपुर, जुगलपुरा, खण्डेला, सीकर राज.
3. **नारू राम मीणा पुत्र किशना राम**
   प्रथम पताः–वार्ड न. 01 ढ़ाणी किशना राम की, जुगलपुरा, खण्डेला, सीकर राज.
   द्वितीय पताः– वार्ड न. 01 ढ़ाणी किशना राम की, गढ़ी कानपुर, जुगलपुरा, श्रीमाधोपुर, सीकर राज.।

–अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 17 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **सांवत सिंह पुत्र बजरंग सिंह, हन्शा कंवर पत्नी सावंत सिंह व नारू राम मीणा पुत्र किशना राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा न. 5, ग्राम एवं पोस्ट कावंट, ग्राम पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर 332708 राज. में एक दुकान** स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 27.88 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

हैं—उतर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा में दामोदर प्रसाद चौधरी की दुकान, पूरब दिशा में नीम का थाना सीसी रोड़ व पश्चिम दिशा में अन्य दुकान है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹12,17,000/— रूपये (अक्षरे रूपये बारह लाख सत्रह हजार) का ऋण स्वीकृत** कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **19.07.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री संदीप कुमार सैनी उपस्थित हुए एवं जवाब आवेदन मय आपत्ति पेश किया है। अप्रार्थी द्वारा जो आपत्ति पेश की गई है उसमें वांछित अनुतोष अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 के तहत इस न्यायालय स्तर पर पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी ने बकाया ऋण के भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **19.07.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **सांवत सिंह पुत्र बजरंग सिंह, हन्शा कंवर पत्नी सावंत सिंह व नारू राम मीणा पुत्र किशना राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति पट्टा न. 5, ग्राम एवं पोस्ट कावंट, ग्राम**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर 332708 राज. में एक दुकान स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 27.88 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं–उतर दिशा में रास्ता, दक्षिण दिशा में दामोदर प्रसाद चौधरी की दुकान, पूरब दिशा में नीम का थाना सीसी रोड़ व पश्चिम दिशा में अन्य दुकान है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **17 अप्रैल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर